झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

(झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्)

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची–834002 (झारखण्ड)

पत्रांक–JSHEC/PM-USHA-38/2024-116 राँची / दिनांक– 28/02/2025

प्रेषक,

रामनिवास यादव, भा.प्र.से.
निदेशक।

सेवा में,

कुलसचिव,
सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

विषयः– केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अवयव **'Gender Inclusion and Equity Initiative'** अन्तर्गत स्वीकृत दो जिलों यथा– दुमका एवं गिरिडीह से संबंधित विश्वविद्यालयों क्रमशः सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु परियोजना की कुल स्वीकृत राशि अर्थात 10.00 करोड़ रुपये (प्रति विश्वविद्यालय) में से दुमका एवं गिरिडीह जिलों में **Gender Sensitization Workshop/ Training/Seminar/Conference'** के आयोजन हेतु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को क्रमशः **₹1,62,11,000/-** एवं **₹1,60,44,000/-** की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के Project Approval Board (PAB) की द्वितीय बैठक में दुमका एवं गिरिडीह जिले में अवयव 'Gender Inclusion and Equity Initiative' के तहत प्रत्येक जिले हेतु 10.00 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस क्रम में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 178 / बजट एवं 177 / बजट दिनांक–13.09.2024 के द्वारा इन जिलों से संबंधित विश्वविद्यालयों क्रमशः सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु उक्त 02 स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत नये छात्रावास के निर्माण एवं Gender Sensitization के निमित्त Workshop/ Training/Seminar/Conference के आयोजन रु0 10.00 करोड़ प्रति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्नवत प्रावधानों के तहत निर्गत की गई है:–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	स्वीकृत्यादेश सं0	दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (₹)	छात्रावास के नये निर्माण हेतु निर्धारित कुल राशि (₹)	Gender Sensitization के उद्देश्य से Workshop/ Training/Seminar/ Conference के आयोजन हेतु निर्धारित कुल राशि (₹)
A	B	C	D	E	F	G= (E-F)
1	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, डुमरी, गिरिडीह (डिग्री कॉलेज, डुमरी)	177 / बजट	13.09.2024	10,00,00,000/-	8,37,89,000/-	1,62,11,000/-
2	न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज, जरमुण्डी, दुमका (डिग्री कॉलेज, जरमुण्डी)	178 / बजट	13.09.2021	10,00,00,000/-	8,39,56,000/-	1,60,44,000/-

2. ज्ञातव्य हो कि इस परियोजना के अन्तर्गत छात्रावास के नवनिर्माण का कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची के स्तर से तथा Gender Sensitization के निमित्त Workshop/ Training/Seminar/Conference का आयोजन सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका (दुमका जिले हेतु) एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग (गिरिडीह जिले हेतु) द्वारा किया जाना प्रावधानित है।

3. तदालोक में केन्द्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अवयव 'Gender Inclusion and Equity Initiative' अन्तर्गत स्वीकृत दो जिलों यथा– दुमका एवं गिरिडीह से संबंधित विश्वविद्यालयों क्रमशः सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु परियोजना की कुल स्वीकृत राशि अर्थात 10.00 करोड़ रुपये (प्रति परियोजना) में से दुमका एवं गिरिडीह जिलों में Gender Sensitization Workshop/ Training/Seminar/ Conference' के आयोजन हेतु विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका को क्रमशः ₹1,62,11,000/- एवं ₹1,60,44,000/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त स्वीकृत राशि का उपयोग सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के माध्यम से Gender Sensitization के निमित्त Workshop/ Training/Seminar/Conference के आयोजन हेतु निम्नांकित शर्तों के आधार पर किया जा सकेगाः–

(i) सभी प्रकार के Workshop/ Seminar/Conference का आयोजन झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के द्वारा निर्गत की गई मार्गदर्शिका Guidelines for funding International/National / State Leve Workshop/ Seminar/Conference/ Symposium by State Universities and Constituent/Affiliated Colleges of Jharkhand के कंडिका–4, 5, 6 एवं 10 में इंगित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

(ii) तदालोक में उपर्युक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु व्यय की अधिसीमा निम्नवत होगीः–

Sl. No.	Event Type	Maximum limit of expenditure	Minimum Duration
1.	International Level Seminar/Conference/Workshop / Symposium	Rs. 10 Lakhs	2 or 3 Days
2.	National Level Seminar/Conference/Workshop / Symposium	Rs. 5 Lakhs	1 or 2 Days
3.	State Level Seminar/Conference/Workshop / Symposium	Rs. 1 Lakhs	1 or 2 Days

उक्त के अतिरिक्त 5–6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु व्यय की अधिसीमा रु0 12,00,000/– (बारह लाख) तक की होगी।

(iii) विश्वविद्यालय के स्तर से संबंधित जिले में Gender Sensitization Workshop/ Training/Seminar/Conference की विस्तृत रुप–रेखा एवं संभावित व्यय पर विश्वविद्यालय स्तर पर गठित Board of Governors (BoG) के स्तर से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर आयोजन तिथि के न्यूनतम 45 दिन पूर्व विहित प्रपत्र में राज्य परियोजना निदेशक को सूचित किया जाना अनिवार्य होगा।

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित Workshop/ Seminar/Conference/Training के आयोजन में होने वाले व्यय निम्नवत शीर्ष में किया जा सकेंगे:–

(a) Expenditure on Logistics, Boarding and Local Transport arrangements for invited guests, lecturers, and keynote speakers.

(b) Expenditure on Logistics and Boarding for outstation participants.

(c) Food and beverage arrangements for the event

(d) Auditorium and Hall Charges.

(e) Videography, Photography, Sound System, Decoration and other contingent nature of expenditure.

(f) An honorarium for Resource Persons not belonging to the host institution which should not exceed Rs. 3,000/- per session per person.

(g) Pre-conference printing & stationery (Flex, Banner, Bags, Folders, notepad, pen etc.).

(h) TA/DA of Resource Person/Experts not belonging to the host institution or any other State Universities of Jharkhand as per University Rules.

(v) कार्यशाला के आयोजन हेतु किए जाने वाले व्यय, झारखण्ड सरकार के वित्तीय नियमों, परिनियमों के अधीन विहित प्रक्रिया का पालन कर सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी शर्त पर इसका उल्लंघन एवं विचलन नहीं किया जा सकेगा।

(vi) कार्यशाला के सफल आयोजन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विश्वविद्यालय के Board of Governors (BoG) तथा Project Monitoring Unit (PMU) की होगी।

(vii) सभी प्रकार के Publication/ Flex/Bags/ Folders / Banners / Standees एवं अन्य सामग्रियों में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) का Logo एवं झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के नाम को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

(viii) कार्यशाला के आयोजन के लिए आवश्यक सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की प्राप्ति वित्त विभाग, झारखण्ड के द्वारा अधिसूचना सं0–2315 दिनांक–04.10.2024 के माध्यम से निर्गत के Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual के प्रावधानों के तहत सुनिश्चित किया जाएगा।

(ix) अल्पहार एवं भोजनादि पर प्रत्येक कार्यक्रम हेतु कुल निर्धारित राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत व्यय अनुमान्य होगा।

(x) कार्यक्रम के आयोजन में अपने संस्थान में उपलब्ध संशाधनों यथा– Hall, Auditorium, Furniture, Sound System, Projector, Generator, Phone, Computer आदि का उपयोग प्राथमिकता से किया जाएगा जिसके लिए Consumables (Fuel, Batteries, Cable आदि) के अतिरिक्त किसी प्रकार का व्यय यथा– किराया, भाड़ा, मरम्मति आदि अनुमान्य नहीं होगा।

(xi) संस्थान द्वारा प्रत्येक कार्यशाला के पूर्ण होने के पश्चात् विपत्रों का भुगतान PFMS की निर्धारित प्रक्रिया अर्थात् SNA-SPARSH के तहत विभागीय कार्यालय आदेश सं० 05 दिनांक–24.01.2024 (कार्यालय आदेश सं0–15 दिनांक 18.06.2024 द्वारा यथा संशोधित) के आलोक में Linked DDO को RBI Drawing Account में आवंटित की गई राशि से किया जायेगा।

(xii) विश्वविद्यालय द्वारा कार्यशाला आयोजन के विरुद्ध व्यय से संबंधित विपत्रों के भुगतान के लिए अपेक्षित राशि के समतुल्य निकासी अधिसीमा निर्गत करने के निमित राज्य परियोजना निदेशालय को अधियाचना प्रेषित किया जायेगा। राज्य परियोजना निदेशालय के द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन कर SNA-SPARSH के तहत विश्वविद्यालय का पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए अधियाचना के विरुद्ध निकासी अधिसीमा निर्गत किया जायेगा जिसका उपयोग विश्वविद्यालय द्वारा कार्यशाला के आयोजन में किए गए व्यय के विरुद्ध आपूर्तिकर्ता संस्थान/संस्थानों के विपत्रों के भुगतान हेतु किया जा सकेगा।

(xiii) राज्य परियोजना निदेशालय के स्तर से निकासी अधिसीमा निर्गत होने के उपरांत संबंधित विश्वविद्यालय उपर्युक्त कंडिका (xi) के तहत विपत्रों के भुगतान हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ पृथक अधियाचना, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रेषित करेंगे:–

(a) कार्यशाला के प्रस्ताव एवं इसके अनुमानित व्यय (विहित प्रपत्र में) पर Board of Governors के अनुमोदन की प्रति (संबंधित बैठक की कार्यवाही)।

(b) आपूर्तिकर्ता संस्थान/संस्थानों को निर्गत कार्यादेश/GeM Contract Order की प्रति।

(c) विश्वविद्यालय के Project Monitoring Unit (PMU) के द्वारा कार्यशाला के आयोजन में किए गए व्यय के भुगतान से संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन।

(d) कुलसचिव द्वारा कार्यशाला के आयोजन में हुए व्यय को अभिप्रमाणित करते हुए विपत्र भुगतान की सक्षम स्तर से अनुशंसा संबंधी प्रमाण पत्र (संलग्न प्रपत्र के अनुसार) की मूल प्रति।

(e) आपूर्तिकर्ता संस्थान/संस्थानों के विपत्र/विपत्रों के भुगतान पर अनुमोदन हेतु विश्वविद्यालय स्तर से निर्गत कार्यालय आदेश की मूल प्रति।

(f) पूर्व में उक्त योजना के अन्तर्गत कार्यशाला के आयोजन में हुए व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

(g) कार्यशाला का मुद्रित प्रतिवेदन, प्रतिभागियों की सूची एवं Resource Persons की सूची।

(h) कार्यशाला से संबंधित फोटोग्राफ एवं अन्य प्रतिवेदन।

(i) भुगतान हेतु उपस्थापित विपत्र/विपत्रों की मूल प्रति।

(j) SNA-SPARSH के तहत System Generated Claim Bill की मूल प्रति।

(xiv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय प्रत्येक विश्वविद्यालय से प्राप्त अधियाचना एवं आवश्यक दस्तावेजों की जाँच कर SNA SPARSH की विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विपत्रों का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।

4. विश्वविद्यालय के स्तर से योजना का कार्यान्वयन प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के आलोक में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के स्तर से समय–समय पर निर्गत मार्गनिर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

5. प्रत्येक विश्वविद्यालय के PM-USHA/RUSA Co-ordinator उपर्युक्त कार्यक्रमों के आयोजन सहित अपने संस्थान के लिए PM-USHA के अन्तर्गत स्वीकृत सभी परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु विभागीय स्तर पर समन्वय के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. झारखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के अधीन क्रियाशील तकनीकी सहायता समूह (TSG) योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगी एवं संस्थानों को यथा आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगी।

विश्वासभाजन

अनु0–यथोक्त।

28/2/25

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा–सह–राज्य परियोजना।

ज्ञापांक–RUSA/S.C.-3/2022/HTESD- 116 रॉंची/दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपिः–कुलपति, सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ प्रेषित।

28/2/25

(रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा–सह–राज्य परियोजना।

ज्ञापांक–RUSA/S.C.-3/2022/HTESD- 116 रॉंची/दिनांक–28/02/2025

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अवर सचिव (बजट), उच्च शिक्षा निदेशालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/उप निदेशक–सह–राज्य नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/2/25

रामनिवास यादव)
निदेशक, उच्च शिक्षा–सह–राज्य परियोजना।